राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
(द्वितीय वल, विकास बांध, सार्वजनिक, जयपुर-302005)
(Email: secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)/नपा-पंचा / सा.आ./राजसभा/14/1609-19
दिनांक: 15/5/19

आदेश

सा. आ. 111/2019 – आयोग के आदेश क्रमांक 3060/28.10.1999 (सा. आ. 25/99) के द्वारा नगरपालिकाओं के समस्त निर्वाचनों हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलुरु द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के परिक्षा (डिजाइन) को ईवीएम से मत डाले जाने और रिकार्ड किए जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है।

उक्त साविक्षण आदेश को अधिकृत करते हुए राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 31-क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग एवं/या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ऑफ इंडिया लिमिटेड, (ECIL) द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के परिक्षा (डिजाइन) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मत डालने एवं रिकार्ड किए जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया है।

यह आदेश तककाल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

अध्यक्ष,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि: –

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (केंद्र) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी माफिक जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-पत्र पर अपलोड करने एवं ई-पत्र करने हेतु।
4. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

उप साविक्ष 3.5.2019
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर